

प्रेस नोट : पटेल अस्पताल जालंधर – 07/09/2019

आज सर्किट हाउस जालंधर में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई जिसमें श्री संतोख सिंह चौधरी (सदस्य संसद जालंधर), श्री जगदीश राजा (मेयर एम. सी. जालंधर), श्री वरिंदर शर्मा (उपायुक्त जालंधर), श्री गुरप्रीत सिंह भुल्लर (कमिश्नर पुलिस जालंधर), श्री दिपर्व लाकरा (आयुक्त नगर निगम जालंधर) व पटेल अस्पताल जालंधर के अधिकारी और सिविल लाइंस वेलफेयर सोसाइटी एवं केमिस्ट एसोसिएशन के सदस्यों के साथ पटेल अस्पताल की अवैध रूप से ध्वस्त दीवार के संबंध में विवाद पर चर्चा करने के लिए की गई।

बैठक के दौरान पटेल अस्पताल के अधिकारियों ने स्वामित्व और स्वीकृत बिल्डिंग प्लान के संबंध में सभी दस्तावेजों का प्रस्तुत किया, पटेल अस्पताल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच के बाद और नगर निगम जालंधर के अधिकारियों द्वारा स्पॉट निरीक्षण के आधार पर, नगर निगम जालंधर के आयुक्त सहमत हुए की गिरायी गई दीवार पटेल अस्पताल की निजी संपत्ति थी और उससे होकर गुजरने वाली कोई सड़क नहीं है, जिसका उपयोग पटेल अस्पताल द्वारा पार्किंग के उद्देश्य से किया जाता रहा है। जिसकी विस्तृत रिपोर्ट पुलिस आयुक्त और जिला प्रशासन अधिकारी को सबमिट करा दी गई है।

मीटिंग के दौरान पटेल अस्पताल के अधिकारियों ने उनकी दीवार को अवैध रूप से गिराने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए कानूनी कार्यवाही की पुनः मांग की, जिस पर पुलिस आयुक्त ने आश्वासन दिया है कि आयुक्त नगर निगम द्वारा विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

जिला प्रशासन के अनुरोध पर पटेल अस्पताल गिरायी गई दीवार की जगह खुद ही साफ़ करवा देगा। जिला प्रशासक ने आगे आश्वासन दिया है कि पटेल अस्पताल के कर्मचारी और संपत्ति को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी और अंतिम रिपोर्ट पेश होने तक मौके पर पुलिस की तैनाती को हटाया नहीं जाएगा। जिला प्रशासन के आश्वासन पर, पटेल अस्पताल का मानना है कि उन्हें न्याय मिलेगा।